National Research Journal of Business Economics
Volume No: 12, Issue No: 1, Year: 2025 (January-June)
PP: 234-242
ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

बिहार में भू सर्वेक्षण का निर्णय एवं सीमांत एवं लघु कृषकों की समस्याएं (सरैया प्रखंड के विशेष संदर्भ में)

भगवान राय

शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग,

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

रवीन्द्र कुमार चौधरी

प्रोफेसर, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग

सह

प्राचार्य, महारानी जानकी कुँवर महाविद्यालय, बेतिया (पश्चिम चंपारण),

बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर की अंगीभूत मॉडल कॉलेज

सारांश

बिहार विशेष भू सर्वेक्षण, जो 2024 में मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड सहित पूरे बिहार में शुरू हुआ, भूमि स्वामित्व को डिजिटाइज़ करने और भूमि विवादों को कम करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शोध पत्र सरैया प्रखंड में इस सर्वेक्षण के प्रभावों और सीमांत (1 हेक्टेयर से कम जोत) एवं लघु (1-2 हेक्टेयर जोत) किसानों की समस्याओं का गहन विश्लेषण करता है, जिसमें भूमि विखंडन, भूमि विवाद, ऋणग्रस्तता, संसाधनों तक सीमित पहुंच, बाजार की अनिश्चितताएँ, और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। सर्वेक्षण ने डिजिटल अधिकार अभिलेख (राइट ऑफ रिकॉर्ड्स) तैयार करने में प्रगति की है, जिससे किसानों को औपचारिक स्वामित्व और बैंक ऋण के लिए संपार्श्विक प्राप्त होने की संभावना बढ़ी है। हालांकि, जागरूकता की कमी, जटिल प्रपत्र प्रक्रियाएँ (जैसे प्रपत्र-2 और प्रपत्र-3), और स्थानीय समन्वय की कमी इसके प्रभाव को सीमित करती हैं। सरकारी योजनाएँ, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), इन समस्याओं को आंशिक रूप से संबोधित करती हैं, लेकिन बागवानी फसलों की उपेक्षा और बुनियादी ढांचे की कमी कार्यान्वयन में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। डेटा तालिकाएँ और ग्राफ सरैया में किसानों की स्थिति, जैसे 80% ऋणग्रस्तता और 55% सिंचाई सुविधा, को स्पष्ट करते हैं। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकालता है कि भू सर्वेक्षण का प्रभावी कार्यान्वयन, जागरूकता अभियान, सरलीकृत प्रक्रियाएँ, भूमि एकीकरण, और वित्तीय समावेशन जैसे संरचनात्मक सुधार सरैया के सीमांत और लघु किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बना सकते हैं।

मुख्य शब्द: बिहार विशेष भू सर्वेक्षण, सीमांत किसान, लघु किसान, सरैया प्रखंड, भूमि विखंडन, भूमि विवाद, ऋणग्रस्तता

परिचय

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीमांत (1 हेक्टेयर से कम जोत) और लघु (1-2 हेक्टेयर जोत) किसान एक आधारभूत भूमिका निभाते हैं, जो कुल कृषि जोत का 86% और कृषि क्षेत्र का 44% हिस्सा रखते हैं [2]। ये किसान, विशेष रूप से बिहार जैसे कृषि-प्रधान राज्यों में, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, किंतु उनकी समस्याएँ, जैसे भूमि विखंडन, ऋणग्रस्तता, और संसाधनों तक सीमित पहुंच, उनकी उत्पादकता और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करती हैं [1]। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का सरैया प्रखंड, जो अपनी लिची, धान, और गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इन

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

चुनौतियों का एक सूक्ष्म प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है [4]। यहाँ छोटी जोतें (औसतन 0.5 हेक्टेयर सीमांत किसानों के लिए), भूमि विवाद, और उच्च ऋणग्रस्तता (85% सीमांत किसानों में) किसानों की आर्थिक कमजोरी को उजागर करती हैं [1], [4]। इन समस्याओं को संबोधित करने के लिए, बिहार सरकार ने बिहार विशेष भू सर्वेक्षण शुरू किया है, जो बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत संचालित है [24]।

यह सर्वेक्षण, जो 2024 में सरैया प्रखंड सहित पूरे बिहार में शुरू हुआ, भूमि स्वामित्व को डिजिटाइज़ करने, डिजिटल अधिकार अभिलेख (राइट ऑफ रिकॉर्ड्स) तैयार करने, और भूमि विवादों को कम करने का लक्ष्य रखता है [24]। सरैया के 150 राजस्व ग्रामों में सर्वेक्षण प्रगति पर है, और रैयतों को प्रपत्र-2 (स्व-घोषणा), प्रपत्र-3(1) (वंशावली), आधार कार्ड, वोटर आईडी, और अन्य छह दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है [23]। यह प्रक्रिया किसानों को औपचारिक स्वामित्व प्रदान कर सकती है, जिससे वे बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं, और बाजार अवसरों तक बेहतर पहुंच प्राप्त कर सकें [6]। हालांकि, जटिल प्रपत्र प्रक्रियाएँ, जागरूकता की कमी, और स्थानीय समन्वय की चुनौतियाँ सर्वेक्षण के कार्यान्वयन में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं [23]। उदाहरण के लिए, कई सीमांत किसानों को प्रपत्र भरने और दस्तावेज जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण भूमि विवादों में वृद्धि हुई है [24]।

यह शोध पत्र सरैया प्रखंड में बिहार विशेष भू सर्वेक्षण के निर्णय के प्रभाव, इसके द्वारा उत्पन्न अवसरों (जैसे डिजिटल रिकॉर्ड, ऋण तक पहुंच), और चुनौतियों (जैसे प्रपत्र जटिलता, विवाद) का विश्लेषण करता है। साथ ही, यह सीमांत और लघु किसानों की संरचनात्मक समस्याओं, जैसे भूमि विखंडन, ऋणग्रस्तता, संसाधनों की कमी, और बाजार अनिश्चितताओं, को भू सर्वेक्षण के संदर्भ में जांचता है [3], [7], [12]। डेटा-आधारित विश्लेषण, जिसमें तालिकाएँ और ग्राफ शामिल हैं, सरैया में किसानों की स्थिति को स्पष्ट करता है, जैसे 80% की औसत ऋणग्रस्तता और केवल 55% कृषि भूमि तक सिंचाई सुविधा [4]। नीतिगत सुझाव, जैसे प्रक्रिया सरलीकरण, जागरूकता अभियान, और भूमि एकीकरण, इस अध्ययन का आधार हैं [20]। यह पत्र नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, और ग्रामीण विकास पेशेवरों के लिए बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु एक रोडमैप प्रदान करता है, विशेष रूप से भू सर्वेक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से [1], [23], [24]।

बिहार विशेष भू सर्वेक्षण और सीमांत एवं लघु किसानों की समस्याएँ

बिहार विशेष भू सर्वेक्षण का परिचय

बिहार विशेष भू सर्वेक्षण, बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत शुरू, बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य भूमि स्वामित्व को डिजिटाइज़ करना, भूमि विवादों को कम करना, और किसानों को औपचारिक स्वामित्व प्रदान करना है [24]। यह सर्वेक्षण, जो 2024 में सरैया प्रखंड सहित पूरे बिहार में शुरू हुआ, डिजिटल अधिकार अभिलेख (राइट ऑफ रिकॉर्ड्स) तैयार करने पर केंद्रित है, जो भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करता है और किसानों को बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं, और बाजार अवसरों के लिए संपार्श्विक प्रदान करने में सहायक है [6]। सरैया प्रखंड में, 150 राजस्व ग्रामों में सर्वेक्षण प्रगति पर है, और ग्राम सभाएँ आयोजित की जा रही हैं ताकि रैयतों को प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा सके [23]। रैयतों को प्रपत्र-2 (स्व-घोषणा), प्रपत्र-3(1) (वंशावली), आधार कार्ड, वोटर आईडी, और अन्य छह दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है, जो स्वामित्व को सत्यापित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं [23]। यह प्रक्रिया, सिद्धांत रूप में, भूमि रिकॉर्ड की पारदर्शिता को बढ़ाती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीमांत और लघु किसानों की स्थिति को सशक्त बनाने की क्षमता रखती है [6]। हालांकि, जटिल दस्तावेजीकरण और जागरूकता की कमी ने इसके कार्यान्वयन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, विशेष रूप से सरैया जैसे क्षेत्रों में, जहाँ साक्षरता दर और डिजिटल पहुंच सीमित है [14], [23]।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

भू सर्वेक्षण के संदर्भ में समस्याएँ

भूमि विखंडन और छोटी जोतें

कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार, सरैया प्रखंड में सीमांत किसानों की औसत जोत 0.5 हेक्टेयर है, जो राष्ट्रीय औसत 1.08 हेक्टेयर से काफी कम है [2]। यह छोटा जोत आकार पीढ़ी-दर-पीढ़ी संपत्ति विभाजन के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसने भूमि विखंडन को बढ़ाया है [3]। बिहार विशेष भू सर्वेक्षण ने इन छोटी जोतों को डिजिटल रूप से दर्ज करने में प्रगति की है, जिससे स्वामित्व का औपचारिक रिकॉर्ड तैयार हुआ है [24]। हालांकि, यह सर्वेक्षण भूमि विखंडन की मूल समस्या को हल करने में असमर्थ रहा है, क्योंकि यह केवल रिकॉर्डिंग पर केंद्रित है, न कि भूमि एकीकरण या सहकारी खेती जैसे संरचनात्मक सुधारों पर [3], [20]। छोटी जोतें आधुनिक कृषि तकनीकों, जैसे ट्रैक्टर, ड्रोन-आधारित खेती, या स्वचालित सिंचाई प्रणालियों, के उपयोग को अव्यावहारिक बनाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रति हेक्टेयर उपज और आय में कमी आती है [3]। इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण के दौरान खंडित भूखंडों की पुन: माप ने कुछ मामलों में सीमा विवादों को बढ़ाया है, क्योंकि गलत माप या पड़ोसियों के बीच असहमति ने स्वामित्व को और जटिल बना दिया है [24]। इन विवादों ने कानूनी लागत को बढ़ाया है, जो सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से बोझिल है, क्योंकि उनके पास कानूनी लड़ाई के लिए संसाधन सीमित हैं [3]। यह स्थिति भूमि एकीकरण और सहकारी खेती मॉडल जैसे दीर्घकालिक समाधानों की आवश्यकता को रेखांकित करती है [20]।

भूमि विवाद

भू सर्वेक्षण ने सरैया में भूमि विवादों को उजागर किया है, जो मुख्य रूप से खंडित भूखंडों, अस्पष्ट स्वामित्व, और ऐतिहासिक रिकॉर्ड की कमी के कारण उत्पन्न हुए हैं [23]। प्रपत्र-2 (स्व-घोषणा) और प्रपत्र-3(1) (वंशावली) जैसे दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया ने कई रैयतों को भ्रमित किया है, विशेष रूप से कम साक्षरता वाले सीमांत किसानों को, जिन्हें जटिल फॉर्म भरने में कठिनाई होती है [23]। सर्वेक्षण के दौरान, गलत माप, पुराने रिकॉर्ड के साथ विसंगतियाँ, दस्तावेजों की कमी, और पड़ोसियों के बीच असहमति ने विवादों की संख्या में वृद्धि की है [24]। उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में, रैयतों ने गलत स्वामित्व दावों का सामना किया, जिसके कारण कानूनी विवाद बढ़े [23]। ये विवाद सीमांत और लघु किसानों के लिए विशेष रूप से हानिकारक हैं, क्योंकि उनके पास कानूनी खर्चों और लंबी अदालती प्रक्रियाओं के लिए संसाधन सीमित हैं [6]। सर्वेक्षण का उद्देश्य विवादों को कम करना था, लेकिन प्रारंभिक चरण में इसने अनजाने में कई छिपे हुए विवादों को सतह पर ला दिया है, जिससे कार्यान्वयन और भी जटिल हो गया है [24]। स्थानीय स्तर पर मध्यस्थता तंत्र और जागरूकता अभियान इन विवादों को कम करने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इनका उपयोग सीमित रहा है [23]।

ऋणग्रस्तता

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, सरैया में 85% सीमांत किसान और 70% लघु किसान ऋणग्रस्त हैं, जो औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक सीमित पहुंच और छोटी जोतों से कम आय का परिणाम है [1]। बिहार विशेष भू सर्वेक्षण से उम्मीद की जाती है कि यह भूमि स्वामित्व को स्पष्ट करेगा, जिससे किसान बैंक ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में अपनी भूमि का उपयोग कर सकेंगे [6]। यह औपचारिक वित्त तक पहुंच को बढ़ा सकता है और साहूकारों पर निर्भरता को कम कर सकता है, जो 30-40% प्रति वर्ष की उच्च ब्याज दरें वसूलते हैं [7]। हालांकि, सर्वेक्षण की धीमी प्रगति, जागरूकता की कमी, और जटिल दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं ने इस लाभ को अभी तक सीमित रखा है [23]। कई सीमांत किसान, विशेष रूप से लिची जैसे उच्च निवेश वाली बागवानी फसलों में लगे हुए, साहूकारों से ऋण लेने को मजबूर हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे ऋण के जाल में फंस जाते हैं [7]। यह स्थिति वित्तीय

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

समावेशन को बढ़ावा देने और साहूकारी को नियंत्रित करने के लिए तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करती है [21]। भू सर्वेक्षण, यदि प्रभावी रूप से लागू हो, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन इसके लिए स्थानीय बैंकों और रैयतों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है [6]।

सीमित संसाधनों तक पहुंच

भू सर्वेक्षण स्वामित्व को स्पष्ट करने में सहायक हो सकता है, लेकिन यह सीमांत और लघु किसानों के लिए संसाधनों तक पहुंच की बुनियादी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित नहीं करता [6]। उच्च गुणवत्ता वाले बीज: उच्च उपज वाले बीजों की लागत अधिक होने के कारण, सरैया के अधिकांश सीमांत किसान इन्हें खरीदने में असमर्थ हैं, जिससे उनकी उत्पादकता सीमित रहती है [8]। सिंचाई सुविधाएँ: सरैया में केवल 50% कृषि भूमि को विश्वसनीय सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं, और भू सर्वेक्षण ने इस क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष सुधार नहीं किया है [4]। मानसून पर निर्भरता और अपर्याप्त सिंचाई बुनियादी ढांचा फसल की विफलता के जोखिम को बढ़ाता है [16]। मृदा स्वास्थ्य: मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी उत्पादकता को प्रभावित करती है, और मृदा परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में जागरूकता कम है [9]। ये बाधाएँ भू सर्वेक्षण के संभावित लाभों, जैसे स्वामित्व आधारित योजनाओं तक पहुंच, को कम करती हैं, क्योंकि संसाधनों की कमी उत्पादकता को सीमित रखती है [4], [8]।

बाजार की अनिश्चितताएँ

सरैया के लिची किसान अपनी उपज को मध्यस्थों को बेचने के लिए मजबूर हैं, जो अक्सर कम कीमतें प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलता [11]। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीति केवल धान और गेहूं जैसे अनाज फसलों तक सीमित है, जिससे बागवानी किसान, विशेष रूप से लिची उत्पादक, उपेक्षित रहते हैं [12]। भू सर्वेक्षण से स्वामित्व स्पष्ट होने पर किसान MSP या अन्य बाजार योजनाओं तक बेहतर पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाओं की कमी अभी भी एक प्रमुख बाधा है [11]। लिची जैसे नाशपाती फसलों के लिए उचित भंडारण की अनुपस्थिति में, किसानों को अपनी उपज को जल्दी और कम कीमत पर बेचना पड़ता है, जिससे उनकी आय में कमी आती है [11]।

जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन सरैया में एक बढ़ती चुनौती है, विशेष रूप से अनियमित मानसून और बाढ़ के कारण। 2019 की बाढ़ ने प्रखंड में 35% फसलों को नष्ट कर दिया, जिसका सीमांत और लघु किसानों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा [5]। भू सर्वेक्षण जलवायु जोखिमों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, और बाढ़-प्रतिरोधी बीजों, सूखा-प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों, या फसल बीमा योजनाओं तक पहुंच सीमित है [22]। फसल बीमा की जटिल दावा प्रक्रियाएँ और कम जागरूकता ने इसके प्रभाव को और कम किया है, जिसके कारण किसान जलवायु-संबंधी नुकसान से उबरने में असमर्थ रहे हैं [22]। जलवायु अनुकूलन उपायों, जैसे माइक्रो-सिंचाई और जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रथाओं, की आवश्यकता है, लेकिन भू सर्वेक्षण इन क्षेत्रों में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं देता [5]।

सरकार द्वारा किए गए समाधान

बिहार विशेष भू सर्वेक्षण का कार्यान्वयन

बिहार विशेष भू सर्वेक्षण, बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत शुरू, भूमि स्वामित्व को डिजिटाइज़ करने और भूमि विवादों को कम करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है [24]। सरैया प्रखंड में, 2024 से शुरू हुए इस सर्वेक्षण ने डिजिटल अधिकार अभिलेख (राइट ऑफ रिकॉर्ड्स)

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

की स्थापना के लिए प्रारंभिक कदम उठाए हैं, जिसमें 150 राजस्व ग्रामों में भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने का कार्य शामिल है [24]। ग्राम सभाएँ आयोजित की जा रही हैं ताकि रैयतों को प्रपत्र-2 (स्व-घोषणा), प्रपत्र-3(1) (वंशावली), आधार कार्ड, वोटर आईडी, और अन्य छह दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा सके [23]। ये डिजिटल रिकॉर्ड किसानों को औपचारिक स्वामित्व प्रदान करने में सहायक हैं, जो बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं तक पहुंच के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोगी हो सकते हैं [6]। उदाहरण के लिए, स्पष्ट स्वामित्व वाले किसान कृषि ऋण या सब्सिडी योजनाओं के लिए आवेदन करने में सक्षम हो सकते हैं, जो उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ा सकता है [6]।

हालांकि, सर्वेक्षण का कार्यान्वयन कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रपत्र-2 और प्रपत्र-3 की जटिल प्रक्रिया ने कई सीमांत किसानों को भ्रमित किया है, विशेष रूप से कम साक्षरता और डिजिटल पहुंच वाले समुदायों में [23]। आठ दस्तावेजों की आवश्यकता, जैसे पुराने भूमि रिकॉर्ड या वंशावली प्रमाण, ने प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है, क्योंकि कई रैयतों के पास ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं [23]। इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण की धीमी प्रगति और स्थानीय स्तर पर समन्वय की कमी ने इसके प्रभाव को सीमित किया है [24]। उदाहरण के लिए, कुछ ग्राम सभाओं में अपर्याप्त भागीदारी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी ने जागरूकता अभियानों को कम प्रभावी बना दिया है [23]। ये चुनौतियाँ सर्वेक्षण के संभावित लाभों, जैसे वित्तीय समावेशन और विवाद समाधान, को कम करती हैं, और स्थानीय प्रशासन को सरलीकृत प्रक्रियाओं और बेहतर समन्वय पर ध्यान देने की आवश्यकता है [24]।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीति का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है, जिससे बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा मिलती है [10]। 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि की गई है, उदाहरण के लिए, तिलहन के लिए 983 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जो किसानों की आय को स्थिर करने में सहायक है [10]। सरैया प्रखंड में, जहाँ धान और गेहूं प्रमुख फसलें हैं, MSP नीति कुछ हद तक प्रभावी रही है, लेकिन केवल 45% किसान ही इसका लाभ उठा पाते हैं [12]। इसका प्रमुख कारण यह है कि MSP नीति मुख्य रूप से अनाज फसलों तक सीमित है, और सरैया के लिए महत्वपूर्ण बागवानी उत्पाद, जैसे लिची, को शामिल नहीं किया गया है [12]। लिची किसान मध्यस्थों पर निर्भर रहते हैं, जो कम कीमतों पर उपज खरीदते हैं, जिससे उनकी आय में कमी आती है [11]।

बिहार विशेष भू सर्वेक्षण से स्वामित्व स्पष्ट होने पर MSP योजनाओं तक पहुंच में सुधार की संभावना है, क्योंकि औपचारिक स्वामित्व किसानों को सरकारी खरीद केंद्रों तक बेहतर पहुंच प्रदान कर सकता है [6]। उदाहरण के लिए, डिजिटल रिकॉर्ड वाले किसान अपनी उपज को MSP के तहत बेचने के लिए आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं [6]। हालांकि, बागवानी फसलों को MSP के दायरे में शामिल करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से सरैया जैसे क्षेत्रों में, जहाँ लिची एक प्रमुख नकदी फसल है [12]। इसके अतिरिक्त, MSP खरीद केंद्रों की सीमित उपलब्धता और जागरूकता की कमी ने कई सीमांत किसानों को इस योजना से बाहर रखा है [12]। नीतिगत सुधार, जैसे बागवानी फसलों के लिए MSP और अधिक खरीद केंद्रों की स्थापना, इस योजना को अधिक समावेशी बना सकते हैं [10], [12]।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य मृदा की पोषक स्थिति का विश्लेषण करना और किसानों को उर्वरक उपयोग के लिए वैज्ञानिक सलाह प्रदान करना है [9]। सरैया प्रखंड में, 2023-24 में 15,000 के

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

आसपास मृदा नमूनों का परीक्षण किया गया, और लगभग 10,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए, जो उर्वरक उपयोग को अनुकूलित करने और उत्पादकता बढ़ाने में सहायक रहे हैं [4]। ये कार्ड मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, और पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों की स्थिति को दर्शाते हैं, जिससे किसान अपनी फसलों के लिए उचित उर्वरक चुन सकते हैं [9]।

हालांकि, इस योजना का प्रभाव डिजिटल जागरूकता की कमी और स्मार्टफोन तक सीमित पहुंच के कारण कम हुआ है [14]। कई सीमांत किसान, विशेष रूप से कम साक्षरता वाले, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जानकारी को समझने और लागू करने में असमर्थ हैं, क्योंकि कार्ड अक्सर डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध होते हैं [9]। इसके अतिरिक्त, मृदा परीक्षण केंद्रों की सीमित संख्या और परिणामों की देरी ने योजना के लाभ को कम किया है [4]। भू सर्वेक्षण से स्वामित्व स्पष्ट होने पर किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित सब्सिडी योजनाओं तक बेहतर पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है [6], [9]। योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, मृदा परीक्षण सुविधाओं का विस्तार और सरल, गैर-डिजिटल प्रारूप में जानकारी प्रदान करना आवश्यक है [14]।

नीचे दी गई तालिका सरैया प्रखंड में सीमांत और लघु किसानों की स्थिति और भू सर्वेक्षण के प्रभाव को दर्शाती है [4]।

तालिका 1: सरैया प्रखंड में सीमांत और लघु किसानों की स्थिति और भू सर्वेक्षण के प्रभाव

पैरामीटर	सीमांत किसान	लघु किसान	कुल
संख्या (लाखों में)	1.5	0.6	2.1
औसत जोत आकार (हेक्टेयर)	0.5	1.4	0.8
ऋणग्रस्तता (%)	85%	70%	80%
MSP लाभार्थी (%)	40%	55%	45%
मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त (%)	65%	75%	68%
सिंचाई सुविधा (%)	50%	65%	55%

विश्लेषण और चर्चा

बिहार विशेष भू सर्वेक्षण ने सरैया प्रखंड में भूमि स्वामित्व को डिजिटाइज़ करने की दिशा में प्रगति की है, जिसमें 150 राजस्व ग्रामों में डिजिटल अधिकार अभिलेख शुरू किए गए हैं [24]। यह प्रक्रिया किसानों को औपचारिक स्वामित्व प्रदान करती है, जो बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोगी है [6]। हालांकि, जटिल प्रपत्र प्रक्रियाएँ (प्रपत्र-2, प्रपत्र-3) और जागरूकता की कमी ने इसके प्रभाव को सीमित किया है [23]। कम साक्षरता वाले सीमांत किसानों को प्रपत्र भरने में कठिनाई होती है, और ग्राम सभाओं में अपर्याप्त भागीदारी ने जागरूकता को कम किया है [23], [24]।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

भूमि विखंडन एक प्रमुख समस्या है, जहाँ सीमांत किसानों की औसत जोत 0.5 हेक्टेयर है, जो मशीनीकरण को अव्यावहारिक बनाता है [2], [3]। सर्वेक्षण ने जोतों को दर्ज किया, लेकिन भूमि एकीकरण जैसे सुधारों पर ध्यान नहीं दिया, और पुन: माप ने कुछ विवाद बढ़ाए [3], [24]। ये विवाद कानूनी लागत बढ़ाते हैं, जो सीमांत किसानों के लिए बोझिल हैं [3]। ऋणग्रस्तता (80% किसान) एक और चुनौती है, क्योंकि औपचारिक बैंकिंग की कमी के कारण किसान साहूकारों (30-40% ब्याज) पर निर्भर हैं [1], [7]। सर्वेक्षण स्वामित्व स्पष्ट कर सकता है, लेकिन धीमी प्रगति ने लाभ को सीमित किया है [6], [23]।

संसाधनों तक सीमित पहुंच (50% सिंचाई, महंगे बीज, मृदा पोषक कमी) सर्वेक्षण के लाभों को कम करती है [4], [8], [9]। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) केवल 45% किसानों तक पहुँचता है और लिची को शामिल नहीं करता [12]। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) ने किसानों को सिंचाई अनुदान दिया, लेकिन बिजली और रखरखाव की कमी प्रभाव को कम करती है [15]। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ने 2,000 महिलाओं को ऋण और प्रशिक्षण प्रदान किया, लेकिन प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है [18], [19]। सर्वेक्षण इन योजनाओं तक पहुंच को सुगम बना सकता है [6]। जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से 2019 की बाढ़ (35% फसल नुकसान), एक गंभीर जोखिम है, लेकिन सर्वेक्षण बाढ़-प्रतिरोधी उपायों को संबोधित नहीं करता [5], [22]।

भू सर्वेक्षण स्वामित्व और वित्तीय समावेशन को बढ़ा सकता है, लेकिन बिना संरचनात्मक सुधारों जैसे भूमि एकीकरण, बागवानी MSP, और जलवायु अनुकूलन लाभ सीमित रहेंगे [6], [20], [21]। प्रक्रिया सरलीकरण, जागरूकता अभियान, और संसाधन निवेश से सर्वेक्षण का प्रभाव बढ़ सकता है [23], [24]।

निष्कर्ष और सुझाव

बिहार विशेष भू सर्वेक्षण सरैया प्रखंड में सीमांत और लघु किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह भूमि स्वामित्व को डिजिटाइज़ करके औपचारिक स्वामित्व प्रदान करता है, जो बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बना सकता है [6], [24]। यह प्रक्रिया किसानों को वित्तीय समावेशन और आर्थिक स्थिरता की दिशा में सशक्त बनाने की क्षमता रखती है, विशेष रूप से छोटी जोतों और ऋणग्रस्तता से जूझ रहे किसानों के लिए [6]। हालांकि, सर्वेक्षण का प्रभाव जागरूकता की कमी, जटिल प्रपत्र प्रक्रियाओं (प्रपत्र-2 और प्रपत्र-3), और सर्वेक्षण के दौरान उभरे भूमि विवादों के कारण सीमित रहा है [23]। ये चुनौतियाँ, विशेष रूप से कम साक्षरता वाले समुदायों में, सर्वेक्षण के लाभों को कम करती हैं और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीतिगत सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं [23], [24]।

इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए, कई नीतिगत सुझाव प्रस्तावित हैं। पहला, भू सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सरल करना और स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है ताकि रैयत प्रपत्रों को समझ और जमा कर सकें [23]। दूसरा, भूमि विखंडन को संबोधित करने के लिए भूमि एकीकरण और सहकारी खेती मॉडल को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो उत्पादकता बढ़ा सकता है [20]। तीसरा, लिची जैसे बागवानी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के दायरे में शामिल करना सरैया की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है [12]। चौथा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और साहूकारी की उच्च ब्याज दरों (30-40%) को नियंत्रित करना ऋणग्रस्तता को कम करेगा [7], [21]। अंत में, बाढ़-प्रतिरोधी फसलों और फसल बीमा को बढ़ावा देना जलवायु जोखिमों, जैसे 2019 की बाढ़ से हुए नुकसान, को कम करेगा [5], [22]। ये सुधार, यदि प्रभावी रूप से लागू किए जाएँ, भू सर्वेक्षण के लाभों को अधिकतम करेंगे और सरैया की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएँगे [6], [24]।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

संदर्भ

1. भारत सरकार, *आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17*, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, 2017.
2. भारत सरकार, *कृषि संगणना 2015-16*, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, 2016.
3. IASbook, "भूमि विखंडन: किसानों के सामने चुनौतियाँ," [ऑनलाइन]. https://www.iasbook.com, 2020.
4. जिला कृषि कार्यालय, मुजफ्फरपुर, *वार्षिक रिपोर्ट 2023-24*, जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर, 2024.
5. बिहार सरकार, *बाढ़ प्रभाव मूल्यांकन 2019*, आपदा प्रबंधन विभाग, पटना, 2019.
6. PRS India, "ग्रामीण ऋण और ऋणग्रस्तता," [ऑनलाइन]. https://hi.prsindia.org, 2025.
7. मेरीखेती, "बिहार में किसानों की ऋणग्रस्तता," [ऑनलाइन]. https://www.merikheti.com, 2025.
8. PRS India, "बीज उत्पादन और उपलब्धता," [ऑनलाइन]. https://hi.prsindia.org, 2025.
9. मेरीखेती, "मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना," [ऑनलाइन]. https://www.merikheti.com, 2025.
10. पीएम इंडिया, "खरीफ फसलों 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी," [ऑनलाइन]. https://www.pmindia.gov.in, 2024.
11. बिहार सरकार, *कृषि विपणन रिपोर्ट*, कृषि विभाग, पटना, 2023.
12. PRS India, "न्यूनतम समर्थन मूल्य और बागवानी," [ऑनलाइन]. https://hi.prsindia.org, 2025.
13. धार जिला, "मृदा परीक्षण में उपलब्धियाँ," [ऑनलाइन]. https://dhar.nic.in, 2025.
14. टेस्टबुक, "ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन," [ऑनलाइन]. https://www.testbook.com, 2023.
15. भारत सरकार, *प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दिशानिर्देश*, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली, 2023.
16. मेरीखेती, "सिंचाई बुनियादी ढांचे में चुनौतियाँ," [ऑनलाइन]. https://www.merikheti.com, 2025.
17. जिला कृषि कार्यालय, मुजफ्फरपुर, *किसान सहायता सेवाएँ रिपोर्ट*, जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर, 2024.
18. भारत सरकार, *राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वार्षिक रिपोर्ट 2023-24*, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 2024.
19. IJRRSS Online, "ग्रामीण महिलाओं पर एनआरएलएम का प्रभाव," [ऑनलाइन]. https://ijrrssonline.in, 2025.
20. टेस्टबुक, "भारतीय कृषि में भूमि जोत," [ऑनलाइन]. https://www.testbook.com, 2023.
21. IJRRSS Online, "ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन," [ऑनलाइन]. https://ijrrssonline.in, 2025.

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-2015
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjbe.in

22. भारत सरकार, *प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिपोर्ट*, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, 2024.
23. जागरण, "विशेष जमीन सर्वे के लिए देने होंगे 8 तरह के दस्तावेज," [ऑनलाइन]. https://www.jagran.com, 2024.
24. मुजफ्फरपुर जिला, "बिहार विशेष भू सर्वेक्षण: सरैया प्रखंड अपडेट," [ऑनलाइन]. https://muzaffarpur.nic.in, 2024.

© Copyright @ Authors